ज़िला शिक्षा अधिकारी मुनेश चौधरी ठेंगे पर रखती है निदेशालय को

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) बीते दिनों हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित किये गये 10 वीं तथा 12 वीं के परीक्षा परिणामों में सबसे फिसड्डी रहे इस ज़िले की शिक्षा अधिकारी 'डॉक्टर' मुनेश चौधरी को निदेशालय की ओर से आदेश आया था कि वह उन प्रिंसिपलों से वार्ता करें जिनके परिणाम सबसे खराब रहे हैं। इसके द्वारा वे उन कारणों का पता लगायें जिनकी वजह से परिणाम खराब आये हैं। इसके अलावा यह भी पता लगायें कि उन कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है?

प्रिंसिपलों से वार्ता करना, सरकारी डाक निकालना, आदि तो दूर की बात है अगली तो कभी दफ्तर आकर भी राज़ी नहीं, हाज़िरी के लिये भी रजिस्टर घर पर ही मंगा लेती है। डीसी व एडीसी की मीटिंग में भी वे अपने किसी मातहत को भेज कर ही काम चलाने का प्रयास करती हैं। खुद तो वे केवल तब जाती हैं जब उच्चाधिकारी इन्हें अच्छी-खासी लताड़ लगाए। यही कारण है कि शिक्षा निदेशालय द्वारा मई में तीन रिमाइंडर भेजे गए इसके बावजूद मोहतरमा ने आज तक उनके आदेश की पालना करने की जरूरत नहीं समझी और न ही कभी समझेंगी।

अब निदेशालय ने 23 जून को तमाम ज़िला शिक्षा अधिकारियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग करने का कार्यक्रम दिया है। इसी मीटिंग के दौरान अन्य शिक्षा अधिकारियों के साथ-साथ मुनेश से भी पूछताछ की जायेगी। निदेशालय उनसे पूछताछ तो तब कर पायेगा ना जब वे ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होंगी। दर असल वह 30 अगस्त तक लंबी छुट्टी पर चली गई हैं, यानी 31 अगस्त को अपने

सेवानिवृत्ति वाले दिन वह कार्यालय आएंगी और भावभीनी विदाई लेकर चली जाएंगी। मान भी लिया जाए कि छुट्टी होने के बावजूद यदि मीटिंग में आ भी गईं तो निदेशालय उनका क्या बिगाड़ लेगा? जब 25-30 लाख का सरकारी फंड हड़पने पर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद उनका कोई बाल बांका न कर सका तो निदेशालय की तो औकात ही क्या है? महीने दो महीने की नौकरी बाकी है वह भी छुट्टी में गुजारने के बाद आराम से घर बैठ कर जुगाली करती रहेगी।

डॉ. मुनेश चौधरी के मनमाने और भ्रष्ट कार्यकलापों के कारण उनके खिलाफ विभागीय जांच किए जाने की सिफारिश की गई है लेकिन शिक्षामंत्री कुंवरपाल गुर्जर न जाने क्यों उनका बचाव करते हुए कहते हैं कि कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है केवल स्पष्टीकरण नोटिस जारी कर जवाब ले लो, भ्रष्ट अधिकारी को बचाने वाला उनका यह जुमला चौंकाता नहीं है क्योंकि उनके राज में जिस तरह यमुना नगर में रेत खनन माफिया फल फूल रहा है वह उनकी कार्यशैली को दर्शाता है।

शिक्षा के प्रति खट्टर सरकार कितनी गंभीर है, इसी से समझा जा सकता है कि जिले की शिक्षा का सारा कार्यभार महा निकम्मी एवम् भ्रष्टाचार जिला शिक्षा अधिकारी मुनेश को सौंपकर सरकार निश्चित बैठी है। नियमानुसार जिले में इसके अतिरिक्त डीईईओ, प्रिंसिपल डाइट तथा दो डिप्टी डीईओ के पद स्वीकृत है। मजे की बात यह है कि आज के दिन जिले में मुनेश चौधरी के अतिरिक्त कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। उनके छुट्टी पर चले जाने के बाद केवल दफ्तर के बड़े बाबू यानी अधीक्षक ही सारा कार्यभार संभाले बैठे हैं।

दागदार रही है मुनेश चौधरी की कार्यशैली

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) डीईओ मुनेश चौधरी पर उप निदेशक एससीईआरटी ऋतु चौधरी ने गंभीर आरोप लगाते हुए निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग से शिकायत की थी। उनकी शिक्षा और अनुभव प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए गए थे।

एडीसी अपराजिता

ऋतु चौधरी के मुताबिक जब वह जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ फरीदाबाद के पद पर कार्यरत थीं तब मुनेश चौधरी उनके अधीनस्थ बतौर डिस्ट्रिक्ट जेंडर कोऑर्डिनेटर कार्यरत थीं। आरोप हैं कि मुनेश चौधरी न तो उनके आदेश का पालन करती थीं और न दिए गए काम जिम्मेदारी से निपटाती थीं। यही नहीं जब वह छात्रावास का निरीक्षण करतीं तो मुनेश चौधरी उनके काम में दखलंदाजी करतीं। बिना विभागीय अनुमति लिए वह विदेश गईं और बेटे-बेटी की शादी में बिना अवकाश लिए कई दिन तक अनुपस्थित रहीं। उन पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर जिला और राज्य स्तर पर होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपनी जगह मातहतों को भेजने का आरोप भी लगाया। सबसे गंभीर आरोप 2005 में डिस्ट्रिक्ट जेंडर कोऑर्डिनेटर पद पर रहने के दौरान 25.79 लाख रुपये का गबन और उसमें से पांच लाख रुपये अपने निजी खाते में जमा करवाने और टैक्सी चार्ज के रूप में 1100 रुपये प्रतिदिन विभाग से लेने का लगाया। डाइट फरीदाबाद में कार्यरत क्लर्क प्रवीण को वाहन चालक के रूप में चंडीगढ़ और पंचकूला ले गईं।

निदेशक शिक्षा विभाग के आदेश पर एडीसी ने मामले की जांच की। दोनों पक्षों ने अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए। जांच में पाया गया कि तिकोना पार्क स्थित छात्रावास के संबंध में ऋतु चौधरी के आरोप सही थे। जांच में सामने आया कि उन्होंने विदेश यात्रा के लिए सरकार से अनुमति तो ली थी लेकिन सक्षम अधिकारी से अर्जित अवकाश स्वीकृत नहीं कराया था जो नियमानुसार जरूरी है। बेटे और बेटी की शादी में भी बिना अवकाश लिए ही छुट्टी पर रहना सही पाया गया। हालांकि बैठकों से अनुपस्थित होने या न होने का कोई ठोस रिकॉर्ड दोनों ही पक्ष नहीं दे सके। लेकिन एडीसी ने माना कि उनके कार्यकाल में भी यदि मुनेश चौधरी को किसी बैठक या वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया तो उन्होंने किसी मातहत को भेज दिया। यहां तक कि उन्हें इस जांच में शामिल होने के लिए 30 नवंबर 2022 को बुलाया गया था लेकिन उन्होंने 29 नवंबर को दोपहर करीब पौने एक बजे ई मेल से आकस्मिक और स्थानीय अवकाश का पत्र भेज दिया। 25.79 लाख रुपये के गबन की जांच में लेखा अधिकारी उपायुक्त कार्यालय से मिले दस्तावेजों में बताया गया कि वाउचर, कैशबुक, लेजर बुक, बजट का स्वीकृति पत्र उपलब्ध न होने के कारण अपूर्ण तथ्यों के आधार पर कोई निर्णय नहीं निकाला जा सकता। एडीसी ने जांच रिपोर्ट में आश्चर्य व्यक्त किया कि मामले से संबंधित सारा मूल रिकॉर्ड कार्यालय से कैसे गायब हो गया। क्लर्क का इस्तेमाल ड्राइवर के रूप में किए जाने के कारण कार्यालय के कार्य में बाधा उत्पन्न होने की बात भी जांच में सही साबित हुई। मुनेश चौधरी की शिक्षा और अनुभव प्रमाणपत्रों की जांच विभागीय स्तर पर कराए जाने की संस्तुति की गई है।

चौटालों की दुकान से मुनेश ने खरीदा था प्रिंसिपल पद

मेरठ विश्वविद्यालय से बीए-बीएड करके आई मुनेश ने अध्यापिका की नौकरी शुरू की थी। नौकरी के दौरान ही इन्होंने मेरठ से ही एमए अर्थशास्त्र की डिग्री का जुगाड़ कर लिया। वर्ष 2001-04 के दौरान चौटालों ने हरियाणा लोक सेवा आयोग के नाम से नौकरियां बेचने की दुकान खोली थी। यहां से योग्यता की अपेक्षा पैसे के बल पर नौकरियां मिलती थीं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मुनेश के पति धर्म सिंह, जो कि उस समय एमसीएफ़ में बतौर जेई अच्छी-खासी लूट-कमाई में जुटे थे, ने पांच लाख देकर अपनी पत्नी के लिये प्रिंसिपल का पद खरीदा था।

बच्चे तो मुनेश ने पहले भी नहीं पढ़ाये थे और प्रिंसिपल बनने के बाद तो पढ़ाने का काम ही खत्म हो गया। इन्होंने अधिकतम समय सर्व-शिक्षा-अभियान तथा ऐसे ही अन्य दफ़्तरों में बिताया। मज़े की बात यह है कि जुगाड़बाज़ी के दम पर कभी फ़रीदाबाद ज़िले से बाहर नहीं गईं।

संदर्भवश, चौटालों द्वारा नौकरी बेचने की उस दुकान के चेयरमैन का नाम केसी बांगड़ था, जो आजकल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की 'जजपा' का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ-साथ पर्यावरण विभाग में सलाहकार के पद पर भी तैनात है। बांगड़ के अलावा लोकसेवा आयोग रूपी उस दुकान में 13 अन्य सदस्य भी थे।

इन सब पर सन् 2005 में बाकायदा मुकदमा तो दर्ज हुआ था लेकिन कार्रवाई की शुरूआत अब यानी 18 साल बाद शुरू होने की चर्चा है।

कार्रवाई कोई हो या न हो बांगड़ गिरोह ने योग्यता के बदले पैसों के बल पर नालायक लोगों को जो पद बेचे थे उनका खामियाजा पूरा राज्य ठीक वैसे ही भुगत रहा है जैसे कि ज़िला शिक्षा विभाग मुनेश चौधरी को भुगत रहा है।

जिला उपायुक्त ने स्वतः संज्ञान लेकर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की

डीसी द्वारा महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों के लिए समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का भी मुनेश चौधरी पालन नहीं करती थीं। यही कारण है कि डीसी ने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई किए जाने का संस्तुति पत्र 23 फरवरी 2023 को अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा शिक्षा विभाग को भेजा।

पत्र में बताया गया था कि महत्वपूर्ण बैठक, कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए उनके कार्यालय से भेजे गए निमंत्रण पर वह कभी ध्यान नहीं देती हैं। परिवार पहचान पत्र जैसी सरकार की महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन के संबंध में होने वाली बैठकों से वह हमेशा गायब रहती हैं, सिर्फ बैठकों में ही नहीं आतीं बल्कि परिवार पहचान पत्र के लिए उन्होंने रत्ती भर काम नहीं किया है उनकी यह कार्यशैली

जिला उपायुक्त विक्रम सिंह

दुखदायी है। महत्वपूर्ण बैठकों में नहीं शामिल होने के लिए उन्हें एक-दो नहीं बल्कि नौ कारण बताओ नोटिस जारी किए गए लेकिन न तो उन्होंने किसी का जवाब दिया और न ही बैठकों में उपस्थित हुईं। उनका व्यवहार बहुत उदासीन है और ड्यूटी के प्रति वह लापरवाह हैं। उनको कोई कार्य सौंपा जाता है तो उसमें वह रुचि नहीं लेतीं, वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं है।

यहां तक कि केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री भी मुनेश चौधरी के सरकारी कार्यों में सहयोग नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं।

स्पष्ट है कि मुनेश चौधरी का कार्य असंतोषजनक है, इस परिप्रेक्ष्य मे निवेदन है कि शिक्षा विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।